

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) पुस्तक भूद

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान श्री सत्यनारायण
बनाम श्री सत्यनारायण

दावा बाबत नामपुराही U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 137/2022

निर्णय दिनांक :- 15.06.2022

वादी की ओर से श्री सत्यनारायण की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.06.2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा वादी के पक्ष में अर्जी प्रस्तुत की गई है जो कि ग्राहक के नाम पर है।
जो कि 169 वॉल्यूम 1422/880, 1423/880, 1424/880 में
रजिस्ट्रार के पास है।
वादी की ओर से अर्जी प्रस्तुत की गई है जो कि ग्राहक के नाम पर है।
जो कि 169 वॉल्यूम 1422/880, 1423/880, 1424/880 में
रजिस्ट्रार के पास है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़

